बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-07/2017 1006 /पटना, दिनांक 13-10-2017

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰)/
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰)।

विषय : **व्यापार मंडल सहयोग समितियों की प्रबंधकारिणी कमिटी का निर्वाचन, 2017 : मतदान के दिन मतदाताओं को मतपत्र निर्गत करने के पूर्व उनका हस्ताक्षर मतदाता पंजी में प्राप्त करने के संबंध में।**

महाशय,

प्राधिकार के पत्रांक-688 दिनांक 04.08.2017 द्वारा व्यापार मंडल सहयोग समितियों के निर्वाचन के संचालन हेतु विस्तृत निदेश निर्गत किये गये हैं। उपर्युक्त संदर्भ में कहना है कि प्रत्येक पीठासीन पदाधिकारी को अन्य विहित सामग्रियों के साथ एक मतदाता पंजी भी दी जायेगी, जो निम्न प्रपत्र में संधारित रहेगी :-

क्र॰	मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक	मतदाता का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान	अभ्युक्ति
1	2	3	4

2) अभ्युक्ति स्तंभ में मतदाता को जिस पहचान अभिलेख के आधार पर मतपत्र दिया जायेगा, संक्षेप में उसका उल्लेख किया जायेगा, यथा - फोटोयुक्त निर्वाचन प्रमाण पत्र एवं पुरानी उपविधियों के आधार पर गठित व्यापार मंडल में व्यक्तिगत किसानों के लिए प्राधिकार के पत्रांक-688 दिनांक 04.08.2017 की कंडिका-4.9 द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज। मतदाता पंजी के आरंभ में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उक्त पंजी के कुल पृष्ठों के संबंध में एक प्रमाण पत्र भी अंकित रहेगा, यथा :-

> **प्रमाणित किया जाता है कि इस मतदाता पंजी में कुल .... (अंक एवं शब्द दोनों में) पृष्ठ हैं।**
>
> **हस्ताक्षर**
> **निर्वाचन पदाधिकारी**

3) जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) कृपया प्राधिकार के उपर्युक्त निर्णय से अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को अविलम्ब अवगत करा देंगे।

विश्वासभाजन,
13.10.17

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

BSEA dt. 11.10.2017